सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 36/2017

1. ग्राम पंचायत श्यामगढ जरिये महेन्द्रपाल ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत श्यामगढ, पंचायत समिति, रायसिंहनगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. करनाराम पुत्र श्री श्योकरण राम जाति बांवरी निवासी श्यामगढ तहसील रायसिंहनगर।
2. अशोक कुमार पुत्र श्री सर्दूलराम जाति धायल (जाट) निवासी श्यामगढ तहसील रायसिंहनगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व संकल्प सख्या 05 बैठक दिनांक 01.05.1999 ग्राम पंचायत श्यामगढ जिसके द्वारा वाके श्यामगढ का अहाता साईज 57X71 फुट जो कि जोहड पायतन की जगह का था , अप्रार्थी करनाराम को आवंटन किया गया, उक्त संकल्प वा आवंटन विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री हरवीर सिंह बराड अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02

:: आदेश :: **दिनांकः 27.07.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' अप्रार्थी द्वारा वाके आबादी श्यामगढ में एक अहाता साईज 57X71 फुट को आवंटन हेतु गलत बयानी वा गलत तथ्य पंचायत के समक्ष पेश कर वा ग्राम पंचायत सदस्यो को गुमराह करते हुए प्रस्ताव सख्या 05 दिनांक 01.05.1999 पारित करवाया है। अप्रार्थी को उक्त गांव श्यामगढ में ही एक अहाता संख्या 41 साईज 30X45 फूट दिनांक 20.04.1983 ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा आवंटन किया गया था, लेकिन उक्त आवंटन अहाता जोहड पायतन की जगह का होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अहाता आवंटन पट्टा को दिनांक 06.09.1987 को जरिये संकल्प सख्या 04 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तथा अप्रार्थी उसी जगह को लेकर दुबारा आवंटन करवाने की पात्रता नहीं रखता था वा अप्रार्थी द्वारा पूर्व में निरस्ती आवंटन के तथ्यों को ग्राम पंचायत से छुपाते हुऐ वा गलत बयानी वा गलत दस्तावेज पेश कर अपने आपको आवंटन का पात्र होना बताये जाने पर ग्राम पंचायत सदस्यों को गुमराह कर सकंल्प/प्रस्ताव सख्या 05 दिनांक 01.05.1999 के जरिये पूर्व में आवंटित जगह से ज्यादा जगह को अपने नाम से आवंटन बाबत प्रस्ताव पारित करवाया है जबकि उक्त जगह जोहड पायतन की जगह है जो पूर्व में भी जोहड पायतन की जगह होने के कारण वा ग्राम पंचायत को जोहड पायतन की जगह को आवंटित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्व आवंटन को निरस्त किया था वा वर्तमान जगह भी जोहड पायतन की जगह में ही आती है, इसलिए उक्त आवंटन विधि विरूद्व है वा काबिल निरस्ती के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है वा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अहाता आवंटन में पारित प्रस्ताव सख्या 05 को स्वीकृत कर आवंटन करने में भारी कानूनी भूल की है। जिससे अप्रार्थी को आवंटित जगह बाबत विधिक रूप से कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिए उक्त आवंटन सम्बन्धि प्रस्ताव न्यायिक वा प्राकृतिक सिद्वान्तो के अनुरूप नहीं होने के कारण काबिल निरस्त के है। उक्त अहाता आवंटन हेतु ग्राम पंचायत में कोई विधिक प्रकिया पूरी नहीं हुई है तथा अहाता आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव के बाद की अन्य कानूनी प्रकिया ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है वा ना ही प्रस्ताव के अलावा अन्य कानूनी प्रकिया बाबत कोई रिकॉर्ड या इन्द्राज ही ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में अंकित है। इसलिए उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी के नाम से जारी आवंटन पट्टा 01.05.1999 कानूनी सही नहीं है। अप्रार्थी को आवंटित अहाता जोहड पायतन की जगह का है जो नियमानुसार किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता ऐसे न्यायिक दृष्टान्त माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में पारित किये है तथा ऐसे आवंटन को विधि विरूद्व भी माना है तथा जोहड पायतन की जगह पर काबिज व्यक्तियों को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश भी दिये है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राज0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 वा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पेटीशन सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0 राज्य निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी उक्त बाबत अपना स्पष्ट मत प्रकट किया है। लिहाजा निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा पारित प्रस्ताव सख्या 05 दिनांक 01.05.1999 जिसके द्वारा वाके चक श्यामगढ में अहाता साईज 57X71 फूट अप्रार्थी करना राम पुत्र श्योकरण जाति बावंरी निवासी श्यामगढ को आवंटन किया गया , विधि विरूद्व होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वाके आबादी श्यामगढ में एक अहाता साईज 57X71 फुट को आवंटन हेतु गलत बयानी वा गलत तथ्य पंचायत के समक्ष पेश कर वा ग्राम पंचायत सदस्यो को गुमराह करते हुए प्रस्ताव सख्या 05 दिनांक 01.05.1999 पारित करवाया है। अप्रार्थी को उक्त गांव श्यामगढ में ही एक अहाता संख्या 41 साईज 30X45 फूट दिनांक 20.04.1983 ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा आवंटन किया गया था, लेकिन उक्त आवंटन अहाता जोहड पायतन की जगह का होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अहाता आवंटन पट्टा को दिनांक 06.09.1987 को जरिये संकल्प सख्या 04 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तथा अप्रार्थी उसी जगह को लेकर दुबारा आवंटन करवाने की पात्रता नहीं रखता था वा अप्रार्थी द्वारा पूर्व में निरस्ती आवंटन के तथ्यों को ग्राम पंचायत से छुपाते हुऐ वा गलत बयानी वा गलत दस्तावेज पेश कर अपने आपको आवंटन का पाकत्र होना बताये जाने पर ग्राम पंचायत सदस्यों को गुमराह कर सकंल्प/प्रस्ताव सख्या 05 दिनांक 01.05.1999 के जरिये पूर्व में आवंटित जगह से ज्यादा जगह को अपने नाम से आवंटन बाबत प्रस्ताव पारित करवाया है जबकि उक्त जगह जोहड पायतन की जगह है जो पूर्व में भी जोहड पायतन की जगह होने के कारण वा ग्राम पंचायत को जोहड पायतन की जगह

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

को आवंटित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्व आवंटन को निरस्त किया था वा वर्तमान जगह भी जोहड पायतन की जगह में ही आती है, इसलिए उक्त आवंटन विधि विरूद्व है वा काबिल निरस्ती के है वा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अहाता आवंटन में पारित प्रस्ताव सख्या 05 को स्वीकृत कर आवंटन करने में भारी कानूनी भूल की है। जिससे अप्रार्थी को आवंटित जगह बाबत विधिक रूप से कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिए उक्त आवंटन सम्बन्धि प्रस्ताव न्यायिक वा प्राकृतिक सिद्वान्तो के अनुरूप नहीं होने के कारण काबिल निरस्त के है। उक्त अहाता आवंटन हेतु ग्राम पंचायत में कोई विधिक प्रकिया पूरी नहीं हुई है तथा अहाता आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव के बाद की अन्य कानूनी प्रकिया ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है वा ना ही प्रस्ताव के अलावा अन्य कानूनी प्रकिया बाबत कोई रिकॉर्ड या इन्द्राज ही ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में अंकित है। इसलिए उक्त प्रंस्ताव के आधार पर अप्रार्थी के नाम से जारी आवंटन पट्टा 01.05.1999 कानूनी सही नहीं है। अप्रार्थी को आवंटित अहाता जोहड पायतन की जगह का है जो नियमानुसार किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता ऐसे न्यायिक दृष्टान्त माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में पारित किये है तथा ऐसे आवंटन को विधि विरूद्व भी माना है तथा जोहड पायतन की जगह पर काबिज व्यक्तियों को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश भी दिये है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राज0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 वा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पेटीशन सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0 राज्य निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी उक्त बाबत अपना स्पष्ट मत प्रकट किया है। लिहाजा निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा पारित प्रस्ताव सख्या 05 दिनांक 01.05.1999 जिसके द्वारा वाके चक श्यामगढ में अहाता साईज 57X71 फूट अप्रार्थी करना राम पुत्र श्योकरण जाति बावंरी निवासी श्यामगढ को आवंटन किया गया , विधि विरूद्व होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को कुन्निदा तहसील श्रीविजयनगर की रिपोर्ट दिनांक 18.01.2018 अनुसार एक प्रति सायल ने मौके पर वसूल पाया प्राप्त होने पर विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से आदेशिका दिनांक 26.02.2018 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा करनाराम गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को जो अहाता आवंटित किया गया था। उसे मुझ प्रार्थी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 04.08.2008 द्वारा खरीद किया गया है। खरीद के रोज से मुझ प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थी को कब्जा के आधार पर पट्टा बहाल रखने का आदेश प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की रिपोर्ट कमांकः–पसरा/पंचायत/2016–17/9544 दिनांक 28.03.2017 अनुसार **" श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) रायसिंसहनगर की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2017 के द्वारा चक 59 एन.पी. में स्थित आबादी भूमि व जोहड पायतन के रकबा का सीमाज्ञान करने हेतु गठित कमेटी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्यामगढ के साथ चक श्यामगढ में अशोक कुमार पुत्र सार्दुल सिंह के प्लाट (अहाता) की पैमाईश की गई। पैमाईश के पश्चात अशोक कुमार पुत्र सार्दुल सिंह नि0 श्यामगढ का उक्त विवादित (अहाता) भूखण्ड जोहड पायतन की भूमि में आता हैं।"** अतः निगरानी में वर्णित पट्टे की भूमि की किस्म **जोहड पायतन** होने आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी भूमि आबादी भूमि न होकर सार्वजनिक भूमि है। एसडीओ रायसिंहनगर के अभिलेख पर उपलब्ध पत्र कमांक 445 दिनांक 16.03.2012 के अनुसार जोहड पायतन भूमियां सरकारी भूमि है। उन्होने इस पत्र में इस पट्टे को खारिज करने के लिए बाकायदा विकास अधिकारी रायसिंहनगर को निगरानी पेश करने के लिए लिखा भी है। अभिलेख पर थानाधिकारी समेजा कोठी का एस.पी. श्रीगंगानगर को संबंधित पत्र कमांक 1437 दिनांक 21.04.2017 भी स्पष्ट करता है कि विवादित अहाता/पट्टा श्री अशोककुमार पुत्र सार्दूल सिंह जाति जाट निवासी श्यामगढ , जो आबादी भूमि में ना होकर उक्त पट्टा व अहाता श्री अशोक कुमार द्वारा करनाराम पुत्र श्योकरण बावंरी से खरीदशुदा उक्त प्लॉट जोहड पायतन की भूमि में आता है। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है जो अवैध है। यह पट्टा **राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प. 3(146)राज–7/2011 जयपुर, दिनांक 26–06–12** में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–11, माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29–05–12 के आलोक में भी निषिद्व है तथा इसमें पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश है। लिहाजा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जोहड पायतन की भूमि पर अप्रार्थी सख्या 01 के पक्ष में जारी निगरानीधीन पट्टा दिनांक 01.05.1999 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 27.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)